न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 06 / 2016

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 खेमसिंह पुत्र भेरसिंह 2 नरेन्द्रसिंह पुत्र भेरसिंह जातियान–राजपुत, निवासीगण सरवाना, तहसील व जिला–सांचौर (राजस्थान)		1 प्रतापाराम पुत्र गजाराम 2 गणपतलाल पुत्र गजाराम 3 संतोक देवी पत्नी गजाराम जातियान–ब्राहम्ण, निवासीगण– सरवाना, तहसील व जिला–सांचौर 4 भूमिधारी जरिये तहसीलदार सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

तारीख रजु :– 12.07.2016

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पुनिया व श्री अशोक कुमार वैष्णव उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाशचन्द्र पुरोहित एवं श्री लाधुसिंह कीलवा उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित। पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने से जवाब बंद।

:– निर्णय :– दिनांक :– 25.07.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया, बाद कार्यालय टिप्पणी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सरवाना, पटवार मण्डल–सरवाना में प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जा काश्त का खेत खसरा संख्या 831 / 1459 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा संख्या 835 रकबा 6.80 हैक्टेयर जुमले रकबा 6.94 हैक्टेयर आये हुए है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की खरीदसुदा, कब्जासुदा आयी हुई है। उक्त भूमि का कब्जा प्रार्थीगण ने जरिये रजिस्ट्रेड दस्तावेज के प्राप्त किया था तब से लेकर आज दिन तक प्रार्थीगण का कब्जा काश्त शांतिपूर्ण बदस्तुर है तथा राजस्व ट्रेश नक्शे में भी पुख्ता तरमीमसूदा आया हुआ है। उक्त आराजी की चारों दिशाओं की माठे सही नही होने से प्रार्थीगण नियमानुसार उक्त आराजी 6.94 हैक्टेयर की पैमाईश करवाकर पत्थरगढ़ी कर स्थाई माठे कायम करवाना चाहते है। आये दिन पश्चिम दिशा के पड़ौसी अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 व प्रार्थीगण के बिच माठ को लेकर विवाद होता रहता है।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम सरवाना पटवार मण्डल सरवाना में प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जा काश्त का खेत खसरा संख्या 831 / 1[illegible] रक[illegible]0.14 हैक्टेयर, खसरा संख्या 835 रकबा 6.80 हैक्टेयर जुमले रकब[illegible] तरमीम अनुसार स्थायी पत्थर, चिणे इत्यादि से नेखमबंदी किये जाने का आदेश [illegible]सीलदार सांचौर के ना[illegible] फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.14 15:34:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई, अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 व प्रार्थीगण के बीच माठ को लेकर विवाद होता रहता है। पूर्व में पैमाईश आदेश करवाकर जरिये पुलिस इमदाद खेत नपवाया, लेकिन अप्रार्थीगण उसको मानने को तैयार नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अपने खातेदारी में दर्ज रकबा व राजस्व ट्रेश नक्शे में किस्तवार पुख्ता तरमीम अनुसार प्रार्थीगण स्थाई हल के लिए मौके पर कायम माठें अनुसर स्थाई पत्थर, चीणे इत्यादि से नेखमबंदी किये जाने का आदेश फरमावें।

उपरोक्त अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए बहस में निवेदन किया कि उक्त नवीन खसरा संख्या 831/1459 पुराने खेत खसरा संख्या 204 से नवसृजित हुआ है, परन्तु सेटलमेंट अधिकारियों ने लिपिकीय भूलवंश उक्त खसरा को पुराने खसरा नंबर 202 से सृजित होना जाहिर किया है उक्त गलती एक मानवीय भूल है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र पूर्णतया विधि विरूद्व, सारहीन, आधारहीन, बलहीन होने से मय कोस्ट खारिज फरमावें।

हमने दस्तावेज का भली–भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौजा–सरवाना के खेत खसरा संख्या 831/1459 रकबा 0.14 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 835 रकबा 6.80 हैक्टेयर भूमि की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 में बतौर खातेदार खेमसिंह, नरेन्द्रसिंह पुत्र भेरसिंह के नाम दर्ज है तथा बेचान दस्तावेज दिनांक 28.11.2001 का भी अवलोकन किया इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

परिणामस्वरूपः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम सरवाना पटवार मण्डल सरवाना के खेत खसरा संख्या 831/1459 रकबा 0.14 हैक्टेयर व खसरा संख्या 835 रकबा 6.80 हैक्टेयर भूमि का दोनों पक्षों की उपस्थित में नाप कर उपरोक्त खेतों की सीमा पर नक्शे में तरमीम अनुसार स्थाई नेखमबंदी करवाई जावें। स्थाई नेखमबंदी का तमाम खर्चा प्रार्थीगण स्वयं वहन करें। तहसीलदार सांचौर को उक्त की पालनार्थ पृथक से तहरीर जारी हो। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी–सांचौर (जिला जालोर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.14 15:54:49 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी–सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner